

जनपद - संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 23-08-2020

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा किए गये सराहनीय कार्यों का विवरण
युवती को बहला-फुसला कर भगा ले जाने के मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 345/20 धारा 363/366 भादवि में
वांछित अभियुक्त नाम पता सूरज गौड़ पुत्र मोहन निवासी बड़गो थाना कोतवाली
खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार किया गया।

विदित हो कि दिनांक 03-06-2020 को अभियुक्त द्वारा वादी की पुत्री को बहला फुसला कर
अपने साथ भगा ले गया, जिसके उपरान्त वादी द्वारा थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर
देकर दिनांक 09.06.2020 को अभियोग पंजीकृत कराया गया था जिसमें थाना कोतवाली
खलीलाबाद पुलिस द्वारा दिनांक 22-08-2020 को अपहृता को बरामद कर आज दिनांक
23.08.2020 को अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

**सार्वजनिक जुआ अधिनियम के अन्तर्गत 02 अभियुक्त गिरफ्तार, 352 रुपये नकद व
ताश के 52 पत्ते बरामद**

थाना मेहदावल पुलिस द्वारा जुआ खेल रहे 02 अभियुक्त नाम पता 1 – विजयानन्द पुत्र
शम्भूनाथ 2 – जितेन्द्र निवासी ठाकुरद्वारा थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर को 250
रुपये मालफड़, 102 रुपये जामातलाशी व ताल के 52 पत्तों के साथ गिरफ्तार कर थाना
मेहदावल पर मु0अ0सं0 220/20 धारा 13 जुआ अधिनियम पंजीकृत किया गया।

अवैध चाकू के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

थाना बखिरा पुलिस द्वारा एक अदद नाजायज चाकू के साथ एक अभियुक्त नाम पता मो0
हुसैन पुत्र दोस्त मोहम्मद निवासी दुर्गजोत थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार
कर थाना बखिरा पर मु0अ0सं0 299/20 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1484 द्वारा जहर खाने वाली महिला को अस्पताल पहुँचाकर बचाई

जान- पीआरवी 1484 को थाना धनघटा क्षेत्रान्तर्गत ददरार से इवेन्ट संख्या 00401
से कालर ने किसी महिला के जहर खाने के सम्बन्ध में सूचना दिया। सूचना मिलते ही

पीआरवी कर्मियों द्वारा तत्काल 09 मिनट में पहुँचकर पीडित को इलाज हेतु अस्पताल भेजवाया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुँचकर पीडित को इलाज हेतु अस्पताल भेजवाकर उनकी जान बचाई गयी, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

पीआरवी स्टाफ – मु0आ0 सुदामा प्रसाद, आरक्षी जितेन्द्र सिंह, हो0चा0 मेजर यादव।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 20 अभियुक्त गिरफ्तार

- थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी में 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- थाना धनघटा पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी में 11 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- थाना महुली पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी में 07 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 212 वाहनो से 209300 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 23-08-2020 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 212 वाहनो से 209300 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।